

(2015] 8 एस. सी. आर. 751

यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

बनाम

एम/एस. एन. एस. रत्नम एंड सन्स

(सिविल अपील संख्या 1795/2005)

29 जुलाई, 2015

[ए. के. सिकरी और एन. वी. रमना, जेजे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944- के तहत छूट अधिसूचना- की वैधता-अधिसूचना संख्या 102/87-सीई और 103/87-सीई दिनांक 27.03.1987- के तहत उत्पाद शुल्क से छूट- कुछ शर्तों के साथ जहाज को तोड़कर प्राप्त किए गए लोहे और इस्पात के स्क्रेप के संबंध में -अधिसूचना संख्या 102/87-सी. ई. 1,035 रुपये प्रति एल. डी. टी. की दर से लगाया गया सीमा शुल्क और उस पर देय अतिरिक्त शुल्क के साथ, Rs.365 प्रति टन की दर से देय उत्पाद शुल्क, अनुसूची में निर्दिष्ट शेष को छूट- अधिसूचना No.103/87-CE के माध्यम से, Rs.1400 प्रति एल. डी. टी. की दर से भुगतान किया गया सीमा शुल्क- प्राप्त स्क्रेप को उत्पाद शुल्क से छूट-चाहे दोनों श्रेणियां समान हों या समझदार अंतर के आधार पर एक

उचित वर्गीकरण हो- अभिनिर्धारित किया: जब माल समान होता है, तो वे एक ही शीर्षक के अंतर्गत आते हैं और सीमा शुल्क उस अधिनियम के अनुसार लगाया जाता है जिसका भुगतान किया गया है-केवल उन व्यक्तियों को छूट देने वाली अधिसूचना जिन्होंने शुल्क की एक विशेष राशि का भुगतान किया है-रु 1,400 प्रति एल. डी. टी. का अर्थ यह नहीं होगा कि ऐसे व्यक्ति एक अलग श्रेणी के हैं और छूट के हकदार होंगे, न कि निर्धारिती जैसे अन्य व्यक्ति जिन्होंने एक ही माल पर शुल्क का भुगतान किया है, बल्कि उस सूत्र पर जिसमें शुल्क की दर 1,035 रुपये प्रति एल. डी. टी. आती है-उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली अधिसूचना को रद्द करने का आदेश इस हद तक संशोधित किया गया है कि निर्धारिती भी छूट अधिसूचना के लाभ का हकदार होगा, बशर्ते कि एल. डी. टी. पर उसके द्वारा पहले से भुगतान किए गए शुल्क को ध्यान में रखा जाएगा और केवल उसमें से शेष राशि ही उत्पाद शुल्क के अधीन होगी- भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14-सीमा शुल्क अधिनियम- एस. 3.

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. जब किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों को छूट दी जाती है, तो इसका लाभ सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। अधिसूचना को पूरे वर्ग पर लागू करना होता है और सरकार उप-वर्गीकरण नहीं बना सकती है जिससे एक उप-श्रेणी को बाहर रखा जा

सके, भले ही दोनों उप-श्रेणियां एक ही वंश की हों। यदि ऐसा किया जाता है, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए, ऐसी अधिसूचनाओं की न्यायिक समीक्षा की अनुमति है ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या अधिसूचना के परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों के बीच भेदभाव होता है, हालांकि वे एक ही वर्ग के हैं। विशेष अधिसूचना की न्यायसंगतता का परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में राज्य के अधिनियम को चुनौती देने वाले व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि राज्य द्वारा बनाए गए दो वर्गों के बीच अंतर का कोई उचित आधार नहीं है। अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है, उचित वर्गीकरण को नहीं। यदि सरकार इस सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण की अपनी कार्रवाई का समर्थन करने में विफल रहती है कि क्या वर्गीकरण उचित है और उद्देश्य के लिए एक तर्कसंगत आधार है, तो वर्गीकरण को मनमाना और भेदभावपूर्ण माना जाना चाहिए। [पैरा 15,16] [766-डी-एफ; 767-एच; 768-ए, ई, जी-एच]

1.2 दोनों दिनांकित 27.03.1987 अधिसूचनाएँ एक ही माल से संबंधित हैं, जो अधिनियम की दूसरी अनुसूची के शीर्षक 72.15 और 73.09 के तहत आती हैं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के तहत इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। उक्त शुल्क का भुगतान

दोनों में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है। जब वैधानिक योजना के तहत ही दो तरीकों की अनुमति है, तो स्पष्ट रूप से विकल्प निर्धारिती का है कि वह सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उन सभी तरीकों में से चुनें। इस प्रकार, भुगतान किए गए शुल्क को स्वाभाविक रूप से वैध रूप से भुगतान किया गया माना जाना चाहिए। केवल इसलिए कि एक विशेष विधि को अपनाने से देय शुल्क कम हो जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे दो व्यक्ति अलग-अलग श्रेणियों से संबंधित हैं। जब माल समान होता है; वे एक ही शीर्षक के अंतर्गत आते हैं और सीमा शुल्क उस अधिनियम के अनुसार लगाया जाता है जिसका भुगतान किया गया है। इसलिए, केवल उन व्यक्तियों को छूट देने वाली विवादित अधिसूचना का मतलब यह नहीं होगा कि ऐसे व्यक्ति एक अलग श्रेणी के हैं और छूट के हकदार होंगे, न कि प्रतिवादी जैसे अन्य व्यक्ति जिन्होंने एक ही अधिनियम के तहत एक ही माल पर शुल्क का भुगतान किया, लेकिन सूत्र पर, जिसे उन्होंने चुना और जो अनुमेय है, शुल्क की कौन सी दर 1,035/- रुपये प्रति एल. डी. टी. आती है। [पैरा 18] [771-डी-एच; 772-ए]

1.3 यह प्रस्तुत किया गया था कि इसका उद्देश्य केवल उन लोगों को छूट देना था जिन्होंने प्रति एल. डी. टी. 1,400/- रुपये पर सीमा शुल्क का भुगतान किया था और चूंकि प्रतिवादी द्वारा भुगतान किया गया शुल्क राशि में कम था, इसलिए प्रतिवादी छूट के लिए नहीं कह सकता था। ऐसा

हो सकता है। ऐसे मामले में समानता लाने का एकमात्र विकल्प अंतर राशि पर शुल्क की मांग करना था। विवादित अधिसूचना को मनमानेपन से बचाने के लिए उस प्रावधान को शामिल किया जाना चाहिए था। वास्तव में, यह दोनों उप-श्रेणियों को पूरी तरह से बराबर लाएगा। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए, इसे केवल इस हद तक संशोधित किया जाता है कि प्रतिवादी भी इस शर्त के अधीन छूट अधिसूचना के लाभ का हकदार होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा पहले से ही एल. डी. टी. पर भुगतान किए गए शुल्क को ध्यान में रखा जाएगा और इसमें से केवल शेष राशि ही उत्पाद शुल्क के अधीन होगी। [पैरा 23] [775-ए-डी]

कासिका ट्रेडिंग और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1994 (4) पूरक। एस. सी. आर. 448: (1995) 1 एस. सी. सी. 274; श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन और अन्य बनाम भारत संघ 1996 (10) सप्लीमेंट एस. सी. आर. 888: (1997) 3 एस. सी. सी. 398; रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम प्रवीणभाई जसभाई पटेल और अन्य 1997 (3) पूरक, एस. सी. आर. 636: (1997) 7 एस. सी. सी. 300; आशीर्वाद फिल्मस बनाम भारत संघ और अन्य 2007 (7) एस. सी. आर. 310: (2007) 6 एस. सी. सी. 624; सुबे सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2001) 7 एस. सी. सी. 545; रूपचंद अदलखा बनाम डी. डी. ए. 1988 (3) पूरक एस. सी. आर. 253: (1989) 1 पूरक। एस. सी. सी. 116; मद्रास सरकार के सचिव बनाम

पीआर श्रीरामुलु 1995 (5) पूरक। एस. सी. आर. 551: (1996) 1 एस. सी. सी. 345; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दीपक उर्वरक और पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2007 (6) एस. सी. आर. 525: (2007) 10 एस. सी. सी. 342-निर्दिष्ट।

प्रकरण विधि संदर्भ

1994 (4) पूरक एस. सी. आर. 448 पैरा 10 को संदर्भित करता है।

1996 (10) पूरक एस. सी. आर. 888 पैरा 12 को संदर्भित करता है।

1997 (3) पूरक एस. सी. आर. 636 पैरा 12 को संदर्भित करता है।

2007 (7) एस. सी. आर. 310 पैरा 15 को संदर्भित करता है।

(2001) 7 एस. सी. सी. 545 पैरा 16 को संदर्भित करती है।

1988 (3) पूरक एस. सी. आर. 253 पैरा 20 को संदर्भित करता है।

1995 (5) पूरक एस. सी. आर. 551 पैरा 21 को संदर्भित करता है।

2007 (6) एस. सी. आर. 525 पैरा 22 को संदर्भित करता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 1795/2005

1998 के डब्ल्यू. ए. सं. 785 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों की ओर से ए. के. पांडा, राजीव नंदा, अरुणा गुसा, बी. कृष्ण प्रसाद।

प्रतिवादी के लिए डॉ. ए. फ्रांसिस जूलियन, दानिश जुबैर खान, (अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी)।

न्यायालय का निर्णय ए. के. सिकरी, जे. द्वारा दिया गया।

1. इसमें प्रत्यर्थी ने अधिसूचना Nos.102/87-CE और 103/87-CE, दोनों दिनांक 27.03.1987 की वैधता पर आपत्ति जताई, जिसके तहत जहाज को तोड़कर प्राप्त लोहे और इस्पात के स्क्रेप के संबंध में उत्पाद शुल्क के पूरे शुल्क को इस शर्त के साथ छूट दी गई थी कि सीमा शुल्क Rs.1400-प्रति प्रकाश विस्थापन टन (LDT) की दर से लगाया जाना चाहिए था। इस तरह की शर्त के साथ, केवल उन लोगों को उत्पाद शुल्क के भुगतान की छूट देना जिन्होंने प्रति एल. डी. टी. पर सीमा शुल्क का भुगतान किया था, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत सीमा शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के एक अन्य वर्ग को, हालांकि कम दर पर, बाहर रखा गया था। बहिष्कृत श्रेणी से संबंधित प्रतिवादी ने उक्त अधिसूचना को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली बताते हुए चुनौती दी थी। हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन डिवीजन बेंच ने अपील में प्रतिवादी की उपरोक्त याचिका को स्वीकार कर लिया है और

दिनांक 18.08.2003 के फैसले में कहा है कि दूसरी श्रेणी के व्यक्ति भी इस अधिसूचना के लाभ के हकदार होंगे। यह वह निर्णय है जिसका भारत संघ द्वारा विरोध किया जाता है और यह तत्काल अपील का विषय है।

2. उपरोक्त विवाद से संबंधित तथ्यों को इस स्तर पर समझने की आवश्यकता है। ये इस प्रकार हैं:

यहाँ प्रत्यर्थी जहाज तोड़ने की गतिविधियों के व्यवसाय में लगा हुआ है। इसने एक विदेशी पोत "एम. वी. गोनॉंग मास" का आयात किया था ताकि इसे तोड़कर कबाड़ के रूप में बेचा जा सके। यह जहाज प्रत्यर्थी द्वारा एक सफल निविदाकर्ता के रूप में एक लाख रुपये की राशि में खरीदा गया था और आयात के समय, सीमा शुल्क कलेक्टर, कोच्चि ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत देय सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क का मूल्यांकन किया और इस जहाज पर विज्ञापन-मूल्य के आधार पर सीमा शुल्क का निर्धारण किया और जहाज में चल वस्तुओं पर Rs.62,16,796.55 के योग में सीमा शुल्क लगाया गया। जहाज के मुख्य भाग का मूल्यांकन 30 प्रतिशत और 50 प्रतिशत विज्ञापन-मूल्य और अतिरिक्त सीमा शुल्क यानी 12 प्रतिशत विज्ञापन-मूल्य पर जवाबी शुल्क के रूप में किया गया था। प्रत्यर्थी ने बिक्री कर के रूप में रुपये 5,68,660 की राशि का भी भुगतान किया।

3. जहाज के आयात के बाद, उसे खोल दिया गया और तोड़ दिया गया, जिससे लोहा और इस्पात का कबाड़ निकाला गया। यह लोहा और इस्पात कबाड़ उत्पाद शुल्क के लिए उपयुक्त है। प्रतिवादी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत किया है। जहाज को तोड़कर प्राप्त किए गए उपरोक्त लोहे और इस्पात के स्क्रेप को प्रतिवादी द्वारा अधिसूचना No.146/86-CE दिनांक 01.03.1986 के अनुसार Rs.365-प्रति टन की दर से केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर हटा दिया गया था। इस बिंदु तक, कोई विवाद नहीं है। हम जिस प्रासंगिक अवधि से संबंधित हैं, वह 08.08.1986 से 27.07.1987 तक है। इस अवधि के दौरान, निम्नलिखित सामग्रियों को क्लियर किया गया था:

09.08.1986 से 26.03.1987	-	3058.49 एमटी
27.03.1987 से 30.06.1987	-	1249.715 एमटी
01.07.1987 से 27.07.1987	-	408.180 एमटी

4. केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत भारत सरकार द्वारा कुछ छूट अधिसूचनाएं जारी की गई हैं: इन अधिसूचनाओं का विवरण इस प्रकार है:

अधिसूचना No.146/86-CE दिनांकित 01.03.1986 जो "जहाज को तोड़ने से लोहे और इस्पात" से संबंधित है। इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची के शीर्ष संख्या 72.15 और 73.09 के तहत आने वाली वस्तुओं को उस पर लगाए जाने वाले शुल्क या उत्पाद शुल्क से छूट का प्रावधान है, जो उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट है, जो प्रति टन Rs.305 की दर से गणना की गई राशि से अधिक है। उक्त अधिसूचना के प्रावधान में उन शर्तों को निर्धारित किया गया है जिन्हें इस अधिसूचना का लाभ उठाने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है। यह परंतुक इस प्रकार है:

"बशर्ते कि उक्त माल जहाजों, नौकाओं और अन्य तैरती संरचनाओं को तोड़ने से प्राप्त किया गया हो-

(i) जिस पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के तहत देय सीमा शुल्क का भुगतान 1,400 रुपये प्रति प्रकाश विस्थापन टन की दर से किया गया है; या

(ii) 28 फरवरी, 1986 को या उससे पहले आयात किया गया है और जिस पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के तहत देय उचित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया गया है।

5. उपरोक्त अधिसूचना को एक अन्य अधिसूचना No.386/86-CE दिनांकित 20.08.1986 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस अधिसूचना

के तहत, उत्पाद शुल्क के पूरे हिस्से को प्रावधान में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर छूट दी गई थी, बशर्ते कि उक्त माल को जहाजों, नौकाओं और अन्य तैरती संरचनाओं को तोड़ने से प्राप्त किया गया हो-

(i) जिस पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के तहत देय सीमा शुल्क का भुगतान 1,400 रुपये प्रति एलडीटी की दर से किया गया है; या

(ii) 28 फरवरी, 1986 को या उससे पहले आयात किया गया है और जिस पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के तहत देय उचित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया गया है।

6. कुछ महीनों के भीतर, एक और अधिसूचना No.102/87-CE दिनांकित 27.03.1987 जारी की गई जिसने अधिसूचना No.386/86-CE दिनांकित 20.08.1986 को भी हटा दिया। इस अधिसूचना में फिर से आंशिक छूट दी गई थी। यह छूट उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से इतनी अधिक थी, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट है, जो प्रति टन Rs.365 की दर से गणना की गई राशि से अधिक है। हालांकि, परंतुक में, जो शर्त निर्धारित की गई थी, जिसे छूट का लाभ उठाने के लिए पूरा किया जाना था, वह इस प्रकार है: "बशर्ते कि उक्त माल जहाजों, नौकाओं और अन्य तैरती संरचनाओं को तोड़ने से प्राप्त किया गया हो, जिन पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली

अनुसूची के तहत 1,035 रुपये प्रति प्रकाश विस्थापन टन की दर से सीमा शुल्क का भुगतान किया गया है और उस पर उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के तहत Rs.365 प्रति प्रकाश विस्थापन टन की दर से अतिरिक्त शुल्क भी लगाया गया है।"

7. उसी दिन, एक और अधिसूचना No.103/87-CE दिनांकित 27.03.1987 भी जारी की गई थी। इस अधिसूचना के माध्यम से, माल को उस पर लगाए जाने वाले पूरे शुल्क या उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी जैसा कि अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया था। इस अधिसूचना के परंतुक में निहित शर्त की पूर्ति पर वही शीर्ष संख्या अर्थात् 72.15 और 73.09, जो निम्नानुसार है:

बशर्ते कि उक्त माल जहाजों, नौकाओं और अन्य तैरती संरचनाओं को तोड़ने से प्राप्त किया गया हो, जिन पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के तहत देय सीमा शुल्क का भुगतान 1,400 रुपये प्रति प्रकाश विस्थापन टन की दर से किया गया है।

8. ये दोनों अधिसूचनाएँ 27.03.1987 तारीख की हैं, समान वस्तुओं से संबंधित हैं, अर्थात्, जो अधिनियम की उक्त अनुसूची के शीर्षकों 72.15 और 73.09 के तहत आते हैं। हालांकि, पहली अधिसूचना संख्या 102/87-CE के अनुसार, यदि तोड़ने के उद्देश्य से जहाज के आयात पर देय सीमा शुल्क का भुगतान सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के तहत देय

अतिरिक्त शुल्क के साथ 1,035/- रुपये प्रति LDT की दर से किया जाता है, तो देय उत्पाद शुल्क Rs.365-प्रति टन की दर से है, जिसमें अनुसूची में निर्दिष्ट शेष राशि को छूट दी गई है। दूसरी ओर, अधिसूचना संख्या 103/87-CE के अनुसार, यदि सीमा शुल्क का भुगतान Rs.1400-प्रति LDT की दर से किया गया है, तो ऐसे जहाजों को तोड़ने से प्राप्त स्कैप को पूरे उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

9. इसमें प्रत्यर्थी ने प्रति एल. डी. टी. Rs.1035 की दर से शुल्क का भुगतान किया था, हालांकि, सीमा शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत देय था। हालाँकि, चूंकि प्रत्यर्थी ने इस धारणा पर किसी भी उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना माल को मंजूरी दे दी थी कि पूरे उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट थी, इसलिए अपीलार्थी ने दिनांक 28.07.1987 का कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें प्रत्यर्थी से कारण दिखाने के लिए कहा गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 ए के तहत Rs.25,73,487/- की उत्पाद शुल्क राशि की मांग क्यों नहीं की जाए। उपरोक्त कारण दर्शाओ नोटिस की प्राप्ति ने प्रतिवादी को मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने और अधिसूचना की वैधता को इस आधार पर चुनौती देने के लिए प्रेरित किया कि इस अधिसूचना द्वारा कुल छूट केवल उन व्यक्तियों को दी गई थी जिन्होंने Rs.1400-LDT की दर से सीमा शुल्क का भुगतान किया था। यह अनुरोध किया गया था कि

20.08.1986 दिनांकित एक अधिसूचना द्वारा, लगाए गए उत्पाद शुल्क के पूरे शुल्क को छूट दी गई थी यदि ऊपर दी गई दो शर्तें पूरी हो जाती हैं। Rs.365-प्रति टन से अधिक की सीमित छूट को 27.03.1987 की तीसरी अधिसूचना द्वारा बहाल किया गया था। हालाँकि, उसी दिन जारी की गई आक्षेपित अधिसूचनाओं द्वारा, केवल उन व्यक्तियों को कुल छूट दी गई थी जिन्होंने 1,400/- रुपये प्रति एल. डी. टी. पर सीमा शुल्क का भुगतान किया है। प्रत्यर्थी के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्तियों की दो श्रेणियों के बीच अंतर हुआ है, अर्थात् उन व्यक्तियों का एक समूह जिन्होंने प्रति एल. डी. टी. 1,400/- रुपये की दर से सीमा शुल्क का भुगतान किया है और उन व्यक्तियों का दूसरा समूह जिन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अनुसार कम राशि का सीमा शुल्क का भुगतान किया है। प्रत्यर्थी ने दलील दी कि यह भेद मनमाना, कृत्रिम था और जिसका उस उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है जिसे प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। जब सीमा शुल्क दोनों तरीकों में से किसी एक के तहत देय होता है, तो यह समझ में नहीं आता है कि मूल्यांकन की एक विशेष विधि में सीमा शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के केवल एक समूह को छूट क्यों दी जाती है।

10. विद्वत एकल न्यायाधीश प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित उपरोक्त मामले से आश्चस्त नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय केंद्र सरकार को उस

वर्ग तक अधिसूचना का विस्तार करने का निर्देश नहीं दे सकता है जिसके लिए इसे विस्तारित नहीं किया गया है क्योंकि यह एक ऐसा मामला था जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के विवेक के भीतर था। कासिका ट्रेडिंग और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले से निर्वाह प्राप्त हुआ, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पिछली अधिसूचनाओं द्वारा दी गई छूटों को देने, कम करने, रोकने, संशोधित करने या निरस्त करने के मामले में सरकार के लिए व्यापक विवेकाधिकार उपलब्ध है और सरकार यदि चाहे तो किसी को भी छूट देने के लिए बाध्य नहीं थी।

11. प्रत्यर्थी ने उक्त फैसले के खिलाफ रिट अपील को प्राथमिकता दी। खंड पीठ ने विवादित फैसले के माध्यम से प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित और अनुरोध किए गए मामले में पर्याप्त योग्यता पाते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया है। डिवीजन बेंच द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब एक अधिसूचना द्वारा रियायती अधिकार का लाभ बहाल किया जाता है, तो उसी श्रेणी में आने वाले कुछ व्यक्तियों के साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता है। डिवीजन बेंच के अनुसार, दोनों श्रेणियों के आयातकों ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत शुल्क का भुगतान किया। एक बार जब उक्त अधिनियम के तहत कोई विकल्प दिया जाता है और तदनुसार शुल्क का

भुगतान किया जाता है, तो केवल इसलिए कि शुल्क की दर अलग है, दूसरे वर्ग को बाहर करने के लिए तर्कसंगत आधार नहीं होगा। उच्च न्यायालय का यह तर्क आक्षेपित निर्णय के पैरा 10 और 11 में पाया जा सकता है जो नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"10. अधिसूचना या जवाबी हलफनामे से, हम सीमा शुल्क का अलग-अलग भुगतान करने वाले व्यक्तियों की दो श्रेणियों के साथ व्यवहार करने के लिए कोई तर्कसंगत आधार खोजने में असमर्थ हैं और इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा पहले से ही भुगतान किए गए शुल्क पर विचार करने में विफलता, इसके बावजूद, अवैध है और इसलिए, विवादित अधिसूचनाएं, जो दूसरी श्रेणी के तहत किए गए प्रेषण के लिए कोई प्रावधान नहीं करती हैं, स्पष्ट रूप से मनमाना हैं। जैसा कि सही बताया गया है, उत्पाद शुल्क से छूट दोहरे कराधान से बचने के लिए है और छूट को वापस लेने का मतलब यह होगा कि व्यक्ति सीमा शुल्क अधिनियम के साथ-साथ उत्पाद शुल्क के तहत अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करेंगे। यह आगे देखा गया है कि जिस व्यक्ति ने 1,400 रुपये प्रति प्रकाश विस्थापन टन की दर से सीमा शुल्क का भुगतान किया था, उसे उत्पाद शुल्क के भुगतान से पूरी तरह से छूट दी गई होगी। बिना किसी तर्कसंगत आधार के इस साफ और स्पष्ट भेदभाव के आलोक में, हमारा विचार है कि अपीलकर्ताओं ने एक मामला बनाया है

और जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, आक्षेपित अधिसूचनाओं को रद्द किया जा सकता है।

11. सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार बनाम धनलक्ष्मी पेपर एंड बोर्ड मिल्स, तिरुचिरापल्ली, ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 665 में माना है कि रियायती अधिकार का लाभ मूल्यांकनकर्ताओं के पूरे समूह को दिया गया था। बिना किसी भेद को अपनाए दो वर्गों का विभाजन, अधिसूचना के उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना और एक वर्ग को लाभ वापस लेना, जबकि इसे दूसरे के पक्ष में बनाए रखना अधिकार से बाहर है। थर्मैक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर (बॉम्बे), ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 1339, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि माल का उपयोग करने वाला व्यक्ति छूट का हकदार है, तो आयातक यह कहने का हकदार होगा कि सी. वी. डी. केवल रियायती शुल्क की राशि होनी चाहिए और यदि उसने अधिक भुगतान किया है, तो वह धनवापसी मांगने का हकदार होगा। सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 (1) में कहा गया है कि सी. ए. वी. भारत में उत्पादित या निर्मित होने वाली समान वस्तु पर कुछ समय के लिए उत्पाद शुल्क के बराबर होगा।

12. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पांडा ने कहा कि यह पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि वह विशेष वर्ग के कर

निर्धारकों को छूट दे और यह एक नीतिगत निर्णय होने के कारण उच्च न्यायालय के लिए इसमें छेड़छाड़ करने के लिए खुला नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने कासिका ट्रेडिंग के मामले में इस न्यायालय के फैसले और विशेष रूप से उसके पैरा 8 और 21 पर भरोसा किया, जो इस प्रकार हैं:

8. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12, जो कि प्रभार अनुभाग है, में प्रावधान है कि सीमा शुल्क उन दरों पर लगाया जाएगा जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 या भारत में आयातित वस्तुओं पर उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 2, जिसे पहली और दूसरी अनुसूचियों के साथ पढ़ा जाता है, उन दरों को निर्धारित करती है जिन पर भारत में आयातित विभिन्न वस्तुओं पर सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सीमा शुल्क लगाया जाएगा। अधिनियम की धारा 25, जिसके साथ हम मुख्य रूप से अपीलों के इस समूह में संबंधित हैं, केंद्र सरकार को "जनहित" में शुल्क लगाने से छूट देने की शक्तियां प्रदान करती है। धारा 25 की उप-धाराएँ (1) और (2) जो हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैं, निम्नानुसार प्रदान करती हैं:

"25. शुल्क से छूट देने की शक्ति-(1) यदि केंद्र सरकार का समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आम तौर पर या तो पूरी तरह से या ऐसी

शर्तों के अधीन छूट दे सकती है (जिसे मंजूरी से पहले या बाद में पूरा किया जाना है), जो अधिसूचना माल के किसी निर्दिष्ट विवरण में पूरी तरह से या उसमें देय सीमा शुल्क के किसी भाग से निर्दिष्ट किया जा सकता है,

(2) यदि केंद्र सरकार का समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कही जाने वाली असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों में, किसी भी माल को शुल्क के भुगतान से छूट दे सकती है, जिस पर शुल्क लगाया जा सकता है।

धारा 25 (उपर्युक्त) की सरल भाषा में शुल्क से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट देने की शक्ति सरकार की संतुष्टि पर निर्भर है कि ऐसा करना "सार्वजनिक हित" में होगा। इस प्रकार, धारा 25 (उपर्युक्त) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए "जनहित" मार्गदर्शक मानदंड है।

21. अधिनियम के तहत शुल्क, अतिरिक्त शुल्क आदि के भुगतान से छूट देने की शक्ति, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों से प्रवाहित होती है। छूट देने की शक्ति में इसे संशोधित करने या वापस लेने की शक्ति शामिल है। अधिनियम के तहत सीमा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब कर योग्य घटना होती है। फिर वे माल के प्रवेश की तारीख पर प्रचलित शुल्क के भुगतान के अधीन हैं। अधिनियम की धारा 25 के

तहत जारी एक छूट अधिसूचना का प्रभाव सीमा शुल्क के संग्रह को निलंबित करने का था। यह उन वस्तुओं को ऐसी वस्तु नहीं बनाता है जो सीमा शुल्क आदि के अधीन हैं जो इस तरह के शुल्क के लिए देय नहीं हैं। यह केवल सीमा शुल्क आदि के लेवी और संग्रह को पूरी तरह से या आंशिक रूप से और ऐसी शर्तों के अधीन करता है जो सरकार द्वारा "जनहित" में अधिसूचना में निर्धारित की जा सकती हैं। अपनी प्रकृति से ऐसी छूट को रद्द या संशोधित या अन्य शर्तों के अधीन होने की संभावना है। "जनहित" में छूट अधिसूचना का अधिक्रमण या निरसन कानून के तहत राज्य की वैधानिक शक्ति का एक प्रयोग है जैसा कि अधिनियम की धारा 25 की भाषा से स्पष्ट है। सामान्य खंड अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण जिसके पास अधिसूचना जारी करने की शक्ति है, उसके पास इसी तरह से अधिसूचना को रद्द करने या संशोधित करने की निस्संदेह शक्ति है। अधिनियम की धारा 25 के तहत सरकार को दी गई छूट की शक्ति की प्रकृति के अनुसार, यह सरकार को देश में उद्योगों और औद्योगिक उत्पादन को विनियमित करने, नियंत्रित करने और बढ़ावा देने में सक्षम बनाने की दृष्टि से है। हमारी राय में 1979 की अधिसूचना संख्या 66, अपीलार्थियों को पी. वी. सी. रेसिन आयात करने के लिए प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन या जारी नहीं की गई थी। मान लीजिए, उक्त अधिसूचना का उद्देश्य आयात के लिए प्रोत्साहन के रूप में भी नहीं था। इसकी सादे भाषा में अधिसूचना की कल्पना की गई थी और केंद्र सरकार को इस बात से

संतुष्ट होने पर जारी किया गया था कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है। इसलिए, कड़ाई से कहें तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिसूचना में किसी भी 'प्रतिनिधित्व' का विस्तार किया गया है, जो कि एक ऐसे पक्ष को 'वादा' है जिसे इसका लाभ मिल रहा है, ताकि वह राज्य के खिलाफ वचन बहिष्कार के सिद्धांत का आह्वान कर सके। यह दोहराया जाएगा कि वचन रद्द करने के सिद्धांत को लागू करने के लिए, यह आवश्यक है कि जिस वादे को लागू करने की मांग की गई है, उसे कानूनी संबंध बनाने के इरादे वाले दूसरे पक्ष के लिए एक स्पष्ट वादा दिखाया जाना चाहिए और यह कि जिस पक्ष के साथ ऐसा किया गया था, उसके द्वारा इस तरह से कार्य किया गया था। अधिनियम की धारा 25 के तहत जारी अधिसूचना को सरकार द्वारा किए गए ऐसे किसी भी स्पष्ट वादे के बारे में नहीं कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य सरकार और उक्त अधिसूचना से लाभ प्राप्त करने वाले पक्ष के बीच कोई कानूनी संबंध बनाना था। इसलिए, यह तर्क देना व्यर्थ है कि भले ही जनहित की मांग की गई हो और केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट थी कि छूट को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वह छूट को वापस नहीं ले सकती थी।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांत का पालन किया गया है और श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन और अन्य बनाम भारत संघ और

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम प्रवीणभाई जसभाई पटेल और अन्य में दोहराया गया है।

13. उन्होंने रिट याचिका में ग्राउंड ए का भी उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी की याचिका यह थी कि प्रतिवादी द्वारा पहले से ही भुगतान किए गए कर्तव्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए था और इसमें से केवल शेष शुल्क की दर होनी चाहिए थी। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है।

14. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद शुल्क का भुगतान करने वाले सभी लोग एक ही वर्ग का गठन करते हैं और इसलिए, लाभ को केवल उन लोगों तक सीमित करके जिन्होंने प्रति एल. डी. टी. 1,400/- रुपये की दर से सीमा शुल्क का भुगतान किया था और अपीलकर्ताओं जैसे व्यक्तियों के अन्य समूहों को बाहर करना शत्रुतापूर्ण भेदभाव के बराबर है और इसलिए, उच्च न्यायालय ने अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला माना।

15. कासिका ट्रेडिंग के मामले में इस न्यायालय का निर्णय, निस्संदेह, इस सिद्धांत को निर्धारित करता है कि पहले की अधिसूचनाओं द्वारा दी गई छूटों को देने, कम करने, रोकने, संशोधित करने या निरस्त

करने के मामले में सरकार के पास व्यापक विवेकाधिकार उपलब्ध है। यह भी सही है कि सरकार किसी को भी छूट देने के लिए बाध्य नहीं है जिसे वह चाहती है। जब अधिनियम के प्रावधानों के तहत शुल्क का भुगतान किया जाता है, तो व्यक्तियों या उत्पादों आदि के विशेष वर्ग को उक्त शुल्क के भुगतान से छूट देना पूरी तरह से सरकार के विवेक के भीतर है। यह विवेकाधिकार विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिन पर सरकार को विचार करना चाहिए क्योंकि ये नीतिगत निर्णय हैं। हालाँकि, वर्तमान मामले में, मुद्दा छूट देने या न देने का नहीं है। जब किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों को छूट दी जाती है, तो उसका लाभ सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को दिया जाता है। अधिसूचना को पूरे वर्ग पर लागू करना पड़ता है और सरकार उप-वर्गीकरण नहीं बना सकती है जिससे एक उप-श्रेणी को बाहर रखा जा सके, भले ही दोनों उप-श्रेणियां एक ही प्रकार की हों। यदि ऐसा किया जाता है, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए, ऐसी अधिसूचनाओं की न्यायिक समीक्षा की अनुमति है ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या अधिसूचना के परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों के बीच भेदभाव होता है, हालांकि वे एक ही वर्ग के हैं। आशीर्वाद फिल्मस बनाम भारत संघ और अन्य में, इस पहलू को निम्नलिखित तरीके से व्यक्त किया गया है:

9. कर कानून के मामले में राज्य को निस्संदेह अधिक अधिकार प्राप्त हैं। यह लोगों के एक वर्ग पर कर लगा सकता है, जबकि यह दूसरे वर्ग के संबंध में ऐसा नहीं कर सकता है।

10. हालाँकि, जैसा कि सर्वविदित है, एक कर कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती के दायरे से परे नहीं है।

11. छोटाभाई जेठाभाई पटेल एंड कंपनी बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1006 में यह कहा गया था: (ए. आई. आर. पी. 1021, पैरा 37)

"37. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भाग III का हर दूसरा अनुच्छेद कर कानूनों पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 31 (2) को दरकिनार करते हुए कि विधायी क्षमता के भीतर एक कर कानून के प्रावधानों को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में आरोपित किया जा सकता है, इस न्यायालय के ऐसे निर्णयों का उदाहरण है जैसे सूरज मॉल मोहता एंड कंपनी बनाम ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री (ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 545: (1955) 1 एस. सी. आर. 448) और मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड बनाम ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री (ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 13: (1955) 1 एस. सी. आर. 787)। के. टी. मूपिल नायर बनाम केरल राज्य (ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 552) में केरल भूमि कर अधिनियम को अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हुए

असंवैधानिक के रूप में निरस्त कर दिया गया था। यह भी बिना कहे चला जाता है कि यदि कर का अधिरोपण अनुच्छेद 15 के विपरीत भेदभावपूर्ण था, तो लेवी अमान्य होगी।

12. हालाँकि, एक कराधान क़ानून में अधिक अक्षांश होता है। हालाँकि, अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के संबंध में एक निष्कर्ष आमतौर पर निकाला जाएगा यदि यह समान रूप से स्थित व्यक्तियों या व्यवसायों के समान वर्ग पर लागू करना चाहता है या कराधान का एक उदाहरण है जो असमानता की ओर ले जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य मनोरंजन कर अधिनियम के तहत कर लगाने का इवेंट एक व्यक्ति के मनोरंजन पर है। मनोरंजन कर की दर सिनेमा थिएटर के आगंतुक से एकत्र की गई राशि के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो उसके मालिक द्वारा दर्शक से लिए गए प्रवेश शुल्क के संदर्भ में होती है।

16. इस प्रकार, यह किसी भी संदेह से परे है कि विशेष अधिसूचना की न्याय्यता का परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर किया जा सकता है। अनुच्छेद 14, जिसे संविधान की मूल विशेषता माना जाता है, कानून के समक्ष समानता या कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। समान संरक्षण का अर्थ है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का अधिकार, दोनों प्रदत्त विशेषाधिकारों और लगाए गए दायित्वों में। इसलिए, यदि दो व्यक्ति या दो समूह समान रूप से स्थित हैं, तो उनके साथ समान

व्यवहार किया जाना चाहिए। साथ ही, समानता के सिद्धांत का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक कानून का उन सभी व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग होना चाहिए जो स्वभाव, प्राप्ति या परिस्थितियों से एक ही स्थिति में नहीं हैं। इसका मतलब यह होगा कि राज्य के पास वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को वर्गीकृत करने की शक्ति है। विधायिका अपने विवेक का प्रयोग करने और वर्गीकरण करने में सक्षम है। इस प्रकार, प्रत्येक वर्गीकरण से कुछ हद तक कुछ असमानता उत्पन्न होने की संभावना है, लेकिन केवल असमानता का उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है। अनुच्छेद 14 को केवल तभी उल्लंघन माना जाएगा जब समान सुरक्षा से इनकार किया जाता है, भले ही दोनों व्यक्ति एक ही वर्ग/श्रेणी के हों। इसलिए, अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में राज्य के अधिनियम को चुनौती देने वाले व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि राज्य द्वारा बनाए गए दो वर्गों के बीच अंतर का कोई उचित आधार नहीं है। अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है और उचित वर्गीकरण नहीं करता है। उपरोक्त से जो निकलता है वह यह है कि अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (i) वर्गीकरण को एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जो उन व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जो समूह से बाहर रह गए अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत हैं और (ii) उस अंतर का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे प्रश्नगत कानून द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि सरकार इस सिद्धांत के

आधार पर वर्गीकरण की अपनी कार्रवाई का समर्थन करने में विफल रहती है कि क्या वर्गीकरण उचित है और उद्देश्य के लिए एक तर्कसंगत आधार है, तो वर्गीकरण को मनमाना और भेदभावपूर्ण माना जाना चाहिए। सुबे सिंह बनाम हरियाणा राज्य में, इस पहलू को न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तरीके से उजागर किया गया है:

10. काउंटर और अपीलार्थियों की ओर से दायर निवेदन के नोट में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने अपीलार्थियों द्वारा दायर आपत्तियों पर विचार करने पर राज्य सरकार से अपीलार्थियों की संपत्तियों को हटाने की सिफारिश की थी और राज्य सरकार ने ऐसी सिफारिशों को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया था कि अपीलार्थियों द्वारा किए गए निर्माण 'बी' या 'सी' श्रेणी के थे और उन्हें आसानी से उस विकसित कॉलोनी में विलय नहीं किया जा सकता था जिसे बनाने का प्रस्ताव था। 'ए' 'बी' और 'सी' वर्ग के रूप में संरचनाओं के वर्गीकरण के आधार को बताते हुए उत्तरदाताओं की दलीलों में कोई तर्क नहीं है, न ही यह बताया गया है कि सभी 'पाई' वर्ग संरचनाओं का एकीकरण कैसे संभव था, जबकि 'बी' और 'सी' वर्ग संरचनाओं का एकीकरण संभव नहीं था। यह राज्य सरकार का मामला नहीं है और न ही हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम के तहत अधिग्रहण से उन पर संरचनाओं वाली भूमि को बाहर करने के लिए सरकार का कोई

नीतिगत निर्णय नहीं है। वास्तव में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इन मामलों में राज्य सरकार ने कुछ भूमि मालिकों के इसी आधार पर उनकी संपत्तियों को हटाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। यह देखा जाना बाकी है कि क्या 'ए', 'बी' और 'सी' वर्ग में मौजूदा संरचनाओं का कथित वर्गीकरण एक उचित वर्गीकरण है जिसमें उद्देश्य के लिए एक बोधगम्य अंतर और एक तर्कसंगत आधार है। यदि राज्य सरकार उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर अपनी कार्रवाई का समर्थन करने में विफल रहती है तो इस निर्णय को मनमाना और भेदभावपूर्ण माना जाना चाहिए। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि भूमि का अधिग्रहण क्षेत्र के नियोजित विकास के उद्देश्य से किया जाता है जिसमें आवासीय और वाणिज्यिक दोनों उद्देश्य शामिल हैं। यह कि अधिग्रहण का उद्देश्य होने के कारण राज्य सरकार के मामले को स्वीकार करना मुश्किल है कि कुछ प्रकार की संरचनाएं जो उसके अपने वर्गीकरण के अनुसार 'ए' श्रेणी की हैं, उन्हें रहने की अनुमति दी जा सकती है, जबकि आसपास स्थित अन्य संरचनाएं और समान उद्देश्यों (आवासीय या वाणिज्यिक) के लिए उपयोग की जा रही हैं, उन्हें ध्वस्त किया जाना चाहिए। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यहाँ यह कहा जा सकता है कि अधिग्रहण की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर मौजूदा संरचनाओं के वर्गीकरण का आधार दिखाने के लिए हमारे सामने कोई सामग्री नहीं रखी गई थी। यह अपीलार्थियों की ओर से उठाए गए विशिष्ट विवाद को देखते हुए महत्वपूर्ण है कि उनके पास आर. सी. छत, मोज़ेक

फर्श आदि के साथ पक्की संरचनाएं हैं। राज्य सरकार की ओर से अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि पर निर्मित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की संरचनाओं की किसी भी वास्तुशिल्प योजना को रखने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, इस तर्क के समर्थन में कि अपीलार्थियों की भूमि पर मौजूद संरचनाओं को योजना में एकीकृत नहीं किया जा सकता है।

17. इसलिए, सवाल यह उठता है कि क्या दो श्रेणियां, जिनमें से एक का उल्लेख अधिसूचना No.386/86-CE दिनांक 20.08.1986 में किया गया है, जिसे लाभ दिया गया है और दूसरी श्रेणी को हटा दिया गया है, जिसे शुरू में अधिसूचना No.102/87-CE दिनांक 27.03.1987 के माध्यम से समान लाभ दिया गया था। इसे अन्यथा रखने के लिए, हमें यह देखना होगा कि क्या दोनों श्रेणियां समान हैं या बोधगम्य अंतर के आधार पर एक उचित वर्गीकरण है जिसका किसी ऐसे उद्देश्य के साथ संबंध है जिसे प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में जो परीक्षण लागू किया जाना है, उसे फिर से आशीर्वाद के मामले के फैसले से निकाला जा सकता है। पहले के विभिन्न निर्णयों पर ध्यान देने के बाद इसे पैरा 14 में संक्षेपित किया गया है। यह पैरा इस प्रकार है:

14. यह बिना किसी विवाद के स्वीकार किया गया है कि कराधान कानूनों को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की परीक्षा में उत्तीर्ण

होना चाहिए। इस न्यायालय के बड़ी संख्या में निर्णयों में यह निर्धारित किया गया है कि एक कराधान कानून कार्यात्मक समीचीनता के कारणों से और अन्यथा भी, कुछ करों को छांट सकता है और चुन सकता है। महत्वपूर्ण रूप से, कर लगाने की इस व्यापक शक्ति पर एक राइडर काम कर रहा है और यहां तक कि कराधान में भेदभाव भी करता है कि इस प्रकार चुना गया वर्गीकरण उचित होना चाहिए। किसी भी कराधान कानून की तर्कसंगतता की सीमा कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसकी दक्षता में निहित है। इस प्रकार, वर्गीकरण को प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक संबंध होना चाहिए। (देखिए मूपिल नायर बनाम केरल राज्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 552, ईस्ट इंडिया टोबैको कंपनी बनाम ए. पी. राज्य, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1733, एन. वेणुगोपाल रवि वर्मा राजा बनाम भारत संघ (1969) 1 एस. सी. सी. 681: ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 1094, सहायक सचिव निरीक्षण जांच निदेशक बनाम ए. बी. शांति, (2002) 6 एस. सी. सी. 259: ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 2188 और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम ए. पी. सरकार, (2006) 1 एस. सी. सी. 597: ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 928)

18. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि दोनों अधिसूचनाएँ दिनांकित 27.03.1987 एक ही माल से संबंधित हैं, जो अधिनियम की दूसरी

अनुसूची के शीर्षक 72.15 और 73.09 के तहत आती हैं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के तहत इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। उक्त शुल्क का भुगतान दोनों में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है। जब वैधानिक योजना के तहत ही दो तरीकों की अनुमति है, तो स्पष्ट रूप से विकल्प निर्धारिती का है कि वह सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उन सभी तरीकों में से चुनें। इस प्रकार, भुगतान किए गए शुल्क को स्वाभाविक रूप से वैध रूप से भुगतान किया गया माना जाना चाहिए। केवल इसलिए कि एक विशेष विधि को अपनाने से देय शुल्क कम हो जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे दो व्यक्ति अलग-अलग श्रेणियों से संबंधित हैं। समानता के उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण कारक तत्काल मामले में समान हैं, अर्थात् माल समान हैं; वे एक ही शीर्षक के अंतर्गत आते हैं और सीमा शुल्क उस अधिनियम के अनुसार लगाया जाता है जिसका भुगतान किया गया है। इसलिए, केवल उन व्यक्तियों को छूट देने वाली आक्षेपित अधिसूचना का अर्थ यह नहीं होगा कि ऐसे व्यक्ति एक अलग श्रेणी के हैं और छूट के हकदार होंगे, न कि प्रतिवादी जैसे अन्य व्यक्ति जिन्होंने उसी अधिनियम के तहत समान वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान किया, लेकिन उस सूत्र पर जो उन्होंने चुना और जो अनुमेय है, शुल्क की दर 1,035 रुपये प्रति एलडीटी आती है।

19. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ताओं ने किसी भी ठोस स्पष्टीकरण द्वारा छूट को वापस लेने का समर्थन नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया है, और ठीक ही कहा है कि रिट याचिका में प्रतिवादी द्वारा ग्रांड सी लिया गया था, विशेष रूप से आग्रह किया गया था कि दो अलग-अलग वर्ग बनाने के लिए कोई तर्कसंगत नीति का उल्लेख नहीं किया गया है और अपीलकर्ताओं द्वारा इसका कोई जवाब नहीं दिया गया था, यहां तक कि उक्त याचिका पर दायर जवाबी हलफनामे में भी। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी द्वारा बनाया गया विशिष्ट मामला यह था कि अधिसूचना No.146/86-CE दिनांक 01.03.1986 और अधिसूचना No.386/86-CE दिनांक 20.08.1986 के पीछे का उद्देश्य 28.02.1986 पर या उससे पहले आयातित जहाजों के साथ अलग व्यवहार करना और दोहरे कराधान और उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क से बचना था। इस कारण से, छूट अधिसूचना आवश्यक हो गई जिसने उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी जैसे मामलों में छूट शुल्क को वापस लेना दोहरे कराधान के बराबर है। अपीलार्थी भी इसका खंडन नहीं कर सके।

20. हम इस सिद्धांत से अवगत हैं कि जो अंतर एक उचित वर्गीकरण की गारंटी देगा, वह बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यह दिखाना होगा कि अंतर वास्तविक और पर्याप्त है और कानून

या अधिसूचना के उद्देश्य के साथ कुछ न्यायसंगत और उचित संबंध होना चाहिए। सूक्ष्म अंतरों को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण करना अच्छा नहीं है। रूपचंद अदलखा बनाम डी.डी.ए. के फैसले से वाक्यांश को उधार लेना: "अधिक वर्गीकरण करना समानता को पूर्ववत करना है।"

21. हम इस सिद्धांत से भी अवगत हैं कि कराधान के क्षेत्र में, विधानमंडल के पास कर उद्देश्यों के लिए वस्तुओं को वर्गीकृत करने का अत्यधिक व्यापक विवेकाधिकार है, जब तक कि वह विशेष व्यक्तियों या वर्गों के खिलाफ स्पष्ट और शत्रुतापूर्ण भेदभाव से बचता है (मद्रास सरकार के सचिव बनाम पी. आर. श्रीरामुलु देखें)। हालांकि, साथ ही, जब किसी कर कानून/अधिसूचना में एक ठोस अनुचितता पाई जाती है, तो इसे असंवैधानिक घोषित करना पड़ सकता है। यद्यपि न्यायालय कर दाताओं को होने वाली कठिनाइयों के प्रश्न में नहीं जा सकता है, लेकिन जहां एक निष्पक्ष प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, वहां इसकी वैधता को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। एक कानून जो नागरिक या बुरे परिणामों का प्रावधान करता है, उसे तर्कसंगतता, निष्पक्षता और गैर-मनमानी की परीक्षा के अनुरूप होना चाहिए।

22. यू. पी. राज्य बनाम दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इस पहलू को संक्षेप में लाया गया है जैसा कि उस निर्णय में निम्नलिखित अंशों से स्पष्ट है:

"15. राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील केरल होटल और रेस्तरां एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, (1990) 2 एस. सी. सी. 502 पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए तर्क दिया कि राज्य में आर्थिक और राजकोषीय विनियमन के उपायों के संबंध में सबसे व्यापक अक्षांश है। कानून के इस सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं है जैसा कि इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में बताया गया है। हालाँकि, यही कानून संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। इसे भारत के लोगों के समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और यदि ऐसा विरोध बना रहता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 (2) के तहत ऐसी घृणा के स्तर तक शून्य हो जाएगी। इसलिए, प्रत्येक कानून को संवैधानिकता की कसौटी से गुजरना पड़ता है, जो तर्कसंगतता की कसौटी का एक औपचारिक नाम है। हम समझते हैं कि जब भी किसी विशेष वस्तु पर कर लगाने या किसी अन्य वस्तु को कराधान से छूट देने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का कानून बनाया जाना है तो वर्गीकरण की मांग की जानी चाहिए। निश्चित रूप से, यह वर्गीकरण प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अंधे दृष्टिकोण का परिणाम नहीं हो सकता है, जिन पर प्रत्यायोजित विधानों की जिम्मेदारी संविधान द्वारा निहित है। संक्षेप में, यू. पी. राज्य के व्यापार कर विभाग द्वारा दिनांकित 10.04.1995 और 15.05.1995 द्वारा जारी अधिसूचनाओं में तर्कसंगतता की भावना का अभाव है क्योंकि यह एक ही श्रेणी की वस्तुओं के बीच वर्गीकरण का तर्कसंगत संतुलन बनाने में सक्षम नहीं है। इसके

परिणामस्वरूप, एन. पी. के. 23:23:0 को कराधान से छूट नहीं दी गई है, जबकि एन. पी. के. 20:20:0 की तरह इसी श्रेणी के अन्य सभी एन. पी. के. उर्वरकों को कराधान से छूट प्रदान की गई है।

16. इस वर्गीकरण की तर्कसंगतता की जांच इस आधार पर की जानी चाहिए कि जब कर प्रावधान का उद्देश्य सूची में शामिल कुछ रासायनिक उर्वरकों की बिक्री पर कर नहीं लगाना है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि समान संरचना वाले सभी उर्वरकों को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें किसी भी अन्य रासायनिक उर्वरक को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें समान तत्व और संरचनाएं हों। इस प्रकार, राज्य द्वारा एक ही वर्ग के विभिन्न रासायनिक उर्वरकों के बीच इस तरह के वर्गीकरण का कोई उचित संबंध नहीं है। आयुर्वेद फार्मसी [(1989) 2 एस. सी. सी. 285] में इस अदालत ने कहा कि एक ही श्रेणी की दो वस्तुओं में भेदभाव नहीं किया जा सकता है और जहां एक ही श्रेणी में आने वाली वस्तुओं के बीच ऐसा अंतर किया जाता है, तो यह उचित आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के वर्गीकरण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने से बचाया जा सके।

23. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि इसका उद्देश्य केवल उन लोगों को छूट देना था जिन्होंने प्रति एल. डी. टी. 1,400/- रुपये पर सीमा शुल्क का भुगतान किया था और चूंकि इसमें

प्रतिवादी द्वारा भुगतान किया गया शुल्क राशि में कम था, इसलिए प्रतिवादी छूट के लिए नहीं कह सकता था। ऐसा हो सकता है। ऐसे मामले में, समानता लाने का एकमात्र विकल्प अंतर राशि पर शुल्क की मांग करना था, जिसका प्रतिवाद यहां तक कि प्रतिवादी ने भी किया था। विवादित अधिसूचना को मनमानेपन से बचाने के लिए उस प्रावधान को शामिल किया जाना चाहिए था। वास्तव में, यह दोनों उपश्रेणियों को पूरी तरह से बराबर लाएगा। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए, हम इसे केवल इस हद तक संशोधित करते हैं कि इसमें प्रतिवादी भी इस शर्त के साथ छूट अधिसूचना के लाभ का हकदार होगा कि प्रतिवादी द्वारा एल. डी. टी. पर पहले से ही भुगतान किए गए शुल्क को ध्यान में रखा जाएगा और केवल उसमें से शेष राशि ही उत्पाद शुल्क के अधीन होगी।

24. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में बिना किसी लागत आदेश के किया जाता है।

निधि जैन

अपील का निपटारा किया गया

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक कैलाश पूनिया की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।